685

[2019] 15 एस. सी. आर 685

/

डीआईएसटी। कलेक्टर सतारा और ए. एन. आर. बनाम

मंगेश निवृत्ति काशीद (2015 की सिविल अपील संख्या 2723) 1 अक्टूबर, 2019

/

[संजय किशन कौल और के**.** एम**.** जोसेफ**,** जे**.** जे**.]**

महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति), खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और विशेष पिछड़े वर्ग (जारी करने और सत्यापन का विनियमन) जाति प्रमाण पत्र अधिनियम, 2000:एस के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र राज्य के सामाजिक न्याय, विशेष सहायता विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 30.7.2011।6(1) 2000 के अधिनियम के अनुसार-अधिसूचना के संदर्भ में, स्थानीय अधिकारियों के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्रों को सत्यापित करने के लिए 35 जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया था-उच्च न्यायालय ने उक्त अधिसूचना को इस निर्देश के साथ रद्द कर दिया कि समिति के गठन और सतर्कता प्रकोष्ठ के संचालन के मामलों दोनों के लिए, कुमारी माधुरी पाटिल * मामले में दिए गए निर्देशों को पूरी तरह से प्रभावी बनाया जाना चाहिए-30.07.2011 के सरकारी प्रस्ताव के अनुसरण में जारी किए गए मूल प्रमाण पत्रों को संबंधित व्यक्तियों से बरामद करने का निर्देश दिया गया था और तुरंत नष्ट कर दिया गया था-हालांकि, उक्त निर्णय पर रोक लगा दी गई थी और इसके परिणामस्वरूप उक्त परिपत्र के अंतर्गत जारी किए गए इन प्रमाण पत्रों पर रोक जारी रही और 2003 के नियमों के साथ पढ़े गए 2000 के अधिनियम के अनुसार प्रक्रिया का पालन किया गया-31.8.2012, महाराष्ट्र अनुसूचित

/

/

/

/

/

/

685 ए.

ऐसे उम्मीदवारों के नामांकन पत्र-आयोजित किए गए:कुमारी माधुरी पाटिल में निर्णय के संदर्भ में सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा प्रमाण पत्रों के सत्यापन की आवश्यकता अनिवार्य थी *-हालाँकि, जैसा कि प्रश्न अवधि के लिए लागू किया गया था, सतर्कता प्रकोष्ठ से इनपुट केवल चुनिंदा रूप से प्राप्त किया गया था-2012 के नियमों अंतर्गत आवश्यकता को अनिवार्य नहीं बनाया गया था, लेकिन जब भी जांच समिति को लगा कि वह सतर्कता जांच की रिपोर्ट मांग सकती है और सभी मामलों में नहीं-प्रमाण पत्र जारी करने का अभ्यास एक आकस्मिक नहीं हो सकता है-वैधता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए गठित जांच समिति को इस प्रकार सतर्कता प्रकोष्ठ की सहायता लेनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गैर-हकदार व्यक्तियों को हकदार व्यक्तियों की कीमत पर लाभ न मिले-प्रश्न प्रमाण पत्रों को सतर्कता रिपोर्ट के बिना और सभी मामलों में सतर्कता जांच की रिपोर्ट के भीतर प्राप्त किया गया था।

/

/

/

/

/

भारत का संविधान:कलाएँ।141 और 142-दिशानिर्देश/निर्देश-कानून के अभाव में वैक्सीन को भरना-आयोजित:किसी भी न्यायिक विधि का उद्देश्य एक रिक्तता को भरना है-यह विधायकों को विधि बनाने से नहीं रोकता है-संविधान के Art.32 द्वारा प्रदत्त पर्याप्त शक्ति है, जिसे संविधान के Art.141 के आधार पर विधि के प्रभाव वाले आदेश देने के लिए पढ़ा जाता है, इस रिक्तता को भरने के लिए निर्देश जारी करके जब तक कि विधायिका अंतराल को पूरा करने के लिए कदम नहीं उठाती है, या कार्यपालिका अपनी भूमिका-न्यायिक विधि का निर्वहन करती है।

/

/

687

डीआईएसटी। कलेक्टर सतारा और ए. एन. आर. बनाममंगेश निवृत काशीद ए

/

प्रशासनिक कानून:अधीनस्थ विधान/प्रत्यायोजित विधान-एस के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र राज्य के सामाजिक न्याय, विशेष सहायता विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 30.7.2011।6(1) 2000 के अधिनियम-इस आधार पर चुनौती दी गई कि अधिसूचना कुमारी माधुरी पाटिल * मामले में निहित निर्देशों के अनुरूप नहीं थी-

आयोजितःअधिसूचना के पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि जाति जांच समितियों का गठन किसी भी स्थानीय प्राधिकरण में वैकल्पिक पद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन की सुविधा के लिए किया गया था-समिति की संरचना विशिष्ट वैधानिक शक्ति के अनुसरण में की गई थी।6(1) 2000 के अधिनियम के अनुसार-जहां तक प्रत्यायोजित विधान या वैधानिक शक्तियों के अंतर्गत जारी अधिसूचना का संबंध है, चुनौती केवल अच्छी तरह से तय किए गए सिद्धांतों के संदर्भ में दी जा सकती है अर्थात या तो नियम या अधिसूचना अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है, या संविधान के किसी प्रावधान के विपरीत है, या एक संघर्ष पैदा करता है जिसे न्यायालय द्वारा हल करने की आवश्यकता है-इस मामले में चुनौती इनमें से किसी भी मापदंड पर आधारित नहीं है, बल्कि केवल इस आधार पर है कि अधिसूचना कुमारी माधुरी पाटिल मामले में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के बिल्कुल अनुरूप नहीं है-ऐसी चुनौती ऐसे अधीनस्थ कानून/वैधानिक अधिसूचनाओं की जांच करने के तय किए गए सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए पोषणीय नहीं होगी-इस प्रकार, एक बार जब विधायिका एक विधायी नीति निर्धारित करती है, और विवेकाधिकार प्रदान करती है।

/

/

/

/

/

अपीलों को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया **:1.** जाँच समिति की संरचना

/

1.1 आक्षेपित आदेश एक तर्क पर आधारित है**,** जैसे कि कुमारी माधुरी पाटिल मामले में निर्णय **,** जैसा कि कुमारी माधुरी पाटिल**-**द्वितीय मामले द्वारा संशोधित किया गया था**,** पत्थर में उत्कीर्ण किया गया था**,** और विधायिका के लिए यह खुला नहीं था कि वह इसके विपरीत या अपमान में विधि बनाए।किसी भी न्यायिक कानून का उद्देश्य रिक्तता को भरना है।यह विधायकों को रोकता नहीं है।

/

विधि बनाने से।न्यायिक सक्रियता या न्यायिक कानून शून्य के अस्तित्व के कारण उभरा।यह राय दी गई कि सर्वोच्च न्यायालय निराशा में हाथ मिलाने के लिए विवश नहीं होगा और ऐसी

स्थिति में न्यायिक निवारण के लिए उसके सामने आए नागरिक की मदद करने में अपनी असमर्थता का अनुरोध करेगा।इस न्यायालय द्वारा यह पाया गया है कि संविधान के अनुच्छेद **32** द्वारा**,** जिसे संविधान के अनुच्छेद **142** के साथ पढ़ा जाता है**,** संविधान के अनुच्छेद **141** के आधार पर विधि के प्रभाव वाले आदेश देने के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान की गई है**,** इस रिक्तता को भरने के लिए निर्देश जारी करके जब तक कि विधायिका अंतराल को पूरा करने के लिए कदम नहीं उठाती है**,** या कार्यपालिका अपनी भूमिका का निर्वहन करती है।**[**पारस **24,25] [706-**बी**-**ई**]**

/

/

कुमारी माधुरी पाटिल और अन्र. वी.अतिरिक्त आयुक्त, जनजातीय विकास और अन्य। (1994) 6

एससीसी 241:[1994] 3 पूरक।एस. सी. आर. 50; कुमारी माधुरी

पाटिल और एन. आर. वी.एडल्ट।कॉम., जनजातीय विकास,

ठाणे और ओआरएस। (1997) 5 एससीसी 437:[1997] 3 एससीआर

1056 ; (कुमारी माधुरी पाटिल**-**द्वितीय**)-**पर भरोसा किया।

/

1.2 जहाँ तक जांच समिति की संरचना का संबंध है**,** इसमें कोई संदेह नहीं है कि उक्त समिति की संरचना विशेष रूप से कुमारी माधुरी पाटिल मामले में निर्देशित की गई थी**,** और

कुमारी माधुरी पाटिल**-**द्वितीय मामले द्वारा संशोधित।के लिए अवसर

बड़ी संख्या में मामलों से निपटने के कारण भी संशोधन हुआ।जब तक अधिसूचना या विधान के अंतर्गत बनाई गई प्रक्रिया विधि की आवश्यकता को पूरा करती है**,** यह नहीं कहा जा सकता है कि समिति को केवल इस न्यायालय के निर्देशों के अनुसार होना चाहिए।**2012** के नियमों को अधिसूचित किए जाने के बाद**,** वास्तव में कोई समस्या नहीं है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि **2000** के अधिनियम की धारा **6 (1)** के संदर्भ में अधिसूचना दिनांक **30.7.2011** जारी करने की शक्ति मौजूद थी।जहाँ तक प्रत्यायोजित विधान या वैधानिक शक्तियों के अंतर्गत जारी अधिसूचना का संबंध है**,** चुनौती केवल अच्छी तरह से तय किए गए सिद्धांतों के संदर्भ में ही रखी जा सकती है।या तो नियम या अधिसूचना अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है**,** या संविधान के किसी भी प्रावधान के विपरीत है**,** या एक संघर्ष लाता है जिसे न्यायालय द्वारा हल करने की आवश्यकता है।इस मामले में चुनौती इनमें से किसी भी मापदंड पर आधारित नहीं है**,** बल्कि केवल इस आधार पर है कि अधिसूचना कुमारी माधुरी पाटिल मामले में इस

न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के बिल्कुल अनुरूप नहीं है।इस तरह की चुनौती इस तरह के ए की जांच के तय किए गए सिद्धांतों को देखते हुए पोषणीय नहीं होगी।

/

/

/

/

689

डीआईएसटी। कलेक्टर सतारा और ए. एन. आर. बनाममंगेश निवृत काशीद ए

अधीनस्थ विधान/वैधानिक अधिसूचनाएँ।**[**पैरा **26] [707-**एफ**-**जी**; 708-**ए**-**डी**]**

2.1 चुनौती का दूसरा भाग सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा प्रमाणपत्रों के सत्यापन की आवश्यकता से संबंधित है।कुमारी माधुरी पाटिल मामले में निर्णय के संदर्भ में इसे अनिवार्य होने का प्रावधान किया गया था।उच्च न्यायालय द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं की विशालता**,** इस तरह के प्रमाण पत्रों के असत्यापित जारी होने के कारण उत्पन्न होने वाली कई याचिकाओं के माध्यम से**,** संभवतः उच्च न्यायालय को इस संबंध में सख्त मानदंड निर्धारित करने के लिए राजी किया।हालाँकि**,** जैसा कि प्रश्न अंतराल अवधि के लिए लागू किया गया था**,** सतर्कता प्रकोष्ठ से इनपुट केवल चुनिंदा रूप से प्राप्त किया गया था।**2012** के नियमों के अंतर्गत भी**,** आवश्यकता अनिवार्य नहीं है**,** लेकिन जहां भी जांच समिति को लगता है कि वह सतर्कता जांच की रिपोर्ट **"**मांग सकती है**"**।प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया आकस्मिक नहीं हो सकती है। वैधता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए गठित जांच समिति को**,** इस प्रकार**,** कम से कम संदेह पर सतर्कता प्रकोष्ठ की सहायता लेनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गैर**-**हकदार व्यक्ति हकदार व्यक्तियों की कीमत पर लाभान्वित न हों।यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका **2012** के नियमों के अंतर्गत पालन किया जाएगा।**[**पैरा **27] [708-**ई**-**जी**; 709-**ए**-**बी**]**

/

/

/

2.2 हालाँकि**,** मामला इस पर नहीं रुक सकता क्योंकि शक्ति का अस्तित्व और उसका प्रयोग दो अलग**-**अलग पहलू हैं।उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण**,** दी गई स्थिति में जांच समिति द्वारा किए गए अभ्यास के तरीके और सतर्कता प्रकोष्ठ की सहायता **(**या नहीं मांगी गई**)** के आकस्मिक तरीके के संदर्भ में प्रतीत होता है।उन पहलुओं पर उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण सही है।अन्तराल अवधि के दौरान**, 30.7.2011 (**जब अधिसूचना जारी की गई थी**)** और

31.8.2012 (जब **2012** के नियम अधिसूचित किए गए थे**)** के बीच कोई उचित अभ्यास नहीं किया जा सकता था**,** या उस समय सीमा को देखते हुए किया गया था जिसके भीतर जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए थे।उद्देश्य स्पष्ट है**,** अर्थात**,** किसी भी तरह से अधिक से अधिक लोगों को जल्द से जल्द चुनाव लड़ने की सुविधा प्रदान करना।परेशान करने वाला पहलू यह है कि वैधता प्रमाण पत्र न केवल उस चुनाव के लिए**,** बल्कि बाद के चुनावों के लिए भी मान्य हैं।वे न केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए मान्य हैं **(**कुछ मामलों को छोड़कर जो इतने प्रतिबंधित हैं**),** बल्कि अन्य सभी उद्देश्यों के लिए भी मान्य हैं।ये वैधता प्रमाणपत्र कर सकते हैं

/

/

/

/

संभवतः कानूनी उत्तराधिकारियों को आगे प्रमाण पत्र जारी करने का आधार बन जाता है।इस प्रकार**,** इस प्रकार की गई कवायद को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और उपरोक्त कवायद को नए सिरे से करने के निर्देश के साथ इसे रद्द करना होगा।**[**पारस **28,29] [709-**सी-एफ**]**

3. नया अभ्यास छह महीने की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए**,** यानी **31.3.2020** पर या उससे पहले।जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती**,** तब तक गर्भावस्था के बीच की अवधि के लिए जारी किए गए मौजूदा प्रमाण पत्र सही रहेंगे।यह कवायद सभी प्रमाणपत्रों के संबंध में की जानी चाहिए**,** सिवाय उन मामलों के जहां सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा सत्यापन के बाद वैधता प्रमाण पत्र जारी किया गया था।इस मामले को ध्यान में रखते हुए कि सतर्कता प्रकोष्ठ ने अन्यथा राय दी है और फिर भी एक जाति वैधता प्रमाण पत्र जारी किया गया है**,** अभ्यास को नए सिरे से किया जा सकता है।इस प्रकार**,** जहां कहीं भी सतर्कता प्रकोष्ठ की प्रतिकूल रिपोर्ट है और फिर भी जाति वैधता प्रमाण पत्र जारी किया गया है**,** अभ्यास को नए सिरे से किया जाना चाहिए।जिन लोगों के जाति प्रमाण पत्रों को जाति जांच समिति द्वारा बिना किसी सतर्कता जांच के खारिज कर दिया गया था**,** उन्हें **2012** के नियमों के नियम **7** के अनुसार इस तरह की अस्वीकृति के खिलाफ अपील करने का अधिकार दिया जा सकता है।**[**पैरा **31] [710-**ए**-**सी**]**

/

/

/

दयराम बनाम सुधीर बाथम और अन्य। **(2012) 1** एससीसी

333 :[2011] 15 एससीआर 1092; बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ और अन्य। (1984) 3 एससीसी 161:[1984]

/

2 एससीआर **67;** विनीत नारायण और ओआरएस**.** वी**.**भारत संघ और

ओआरएस। (1998) 1 एससीसी 226:[1997] 6 पूरक।एससीआर 595;

विशाखा बनाम राजस्थान राज्य **(1997) 6** एससीसी **241:**

[1997] 3 पूरक।एस. सी. आर. 404; जनजातीय निदेशक

कल्याण**,** आंध्र प्रदेश बनाम लवेती गिरि और अन्र। **(1995)**

4 एससीसी **32:[1995] 3** एस**.** सी**.** आर**. 430-**पर निर्भर।संदर्भित निर्णय

/

[1994] 3 पूरक।एससीआर **50**

पर विश्वास किया

पैरा **2**

[1997] 3 एससीआर **1056**

पर विश्वास किया

पैरा **4**

[2011] 15 एससीआर **1092**

पर विश्वास किया

पैरा **11**

/

[1984] 2 एससीआर **67**

पर विश्वास किया

पैरा **25**

[1997[6 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 595** पैरा **25 [1997] 3** सप्लीमेंट पर निर्भर था। एस**.** सी**.** आर**. 404** पैरा **25 [1995] 3** एस**.** सी**.** आर**. 430** पर निर्भर था।

पर विश्वास किया

पैरा **25** ए

/

691

डीआईएसटी। कलेक्टर सतारा और ए. एन. आर. बनाममंगेश निवृत काशीद ए

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2015 की सिविल अपील सं. 2723।

2012 की रिट याचिका संख्या 853 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 04.05.2012 से।सह

/

सिविल अपील सं. 2727,2728,2729,2730-2731,2732,2734

2015.

विनय नवारे, बी. एच. मार्लापल्ले, अतुल यशवंत चिताले, जितेंद्र मोहन शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सुश्री आभा आर. शर्मा, निशांत आर. कटनेश्वरकर, अनूप कंदारी, प्रवीण सताले, राजीव शंकर द्विवेदी, आदित्य ए. पांडे, के. एन. राय, लक्ष्मी रमन सिंह, रवींद्र केशवराव अदसुरे, शिवाजी एम. जाधव, सुश्री आशा गोपालन नायर, अंकोलेकर गुरुदत्त, अमोल निर्मल कुमार सूर्यवंशी, सुधांशु एस. चौधरी, संजय कुमार त्यागी, जैद अली सुब्ज़पोश, तमीम कादरी, सईद कादरी, सुश्री उदिता सिंह, शिरीष के. देशपांडे, रुचा प्रवीण मंडलिक, मोहित गौतम, श्रीमती सुचित्रा अतुल चितले, सुश्री तनउपस्थित पक्षकारों के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

/

/

संजय किशन कौल**,** न्या**.**

/

1. आधी रात को स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान का निर्माण हुआ।भारत के संविधान (संक्षेप में 'संविधान') ने हमारे देश के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए, कुछ विशेष लाभ और विशेषाधिकार प्राप्त समुदायों, यानी अनुसूचित जातियों (संक्षेप में 'अनुसूचित जाति') और अनुसूचित जनजातियों (संक्षेप में 'अनुसूचित जनजाति') के व्यक्तियों के लिए विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए विशेष ध्यान रखा।इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत नस्ल

और जाति के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करते हुए, संविधान के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता प्रदान करते हुए, इन श्रेणियों के लोगों को आरक्षण प्रदान करने के लिए एक सक्षम प्रावधान किया गया था।वास्तव में, अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता को समाप्त करना, इस दिशा में एक और प्रावधान था।

/

/

692

/

[2019] 15 एस सी आर।

2. उपरोक्त उद्देश्यों के कार्यान्वयन में, रोजगार प्राप्त करने और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए जाति प्रमाण पत्र जारी करना आवश्यक हो गया।दुर्भाग्य से, इसने कदाचार के विशाल क्षेत्र को जन्म दिया क्योंकि गैर-हकदार व्यक्ति लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसे प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कामयाब रहे।यह स्थानिक समस्या कुमारी माधुरी पाटिल और अन्न में न्यायशास्त्र संबंधी चर्चा का आधार बनती है।

/

v. अतिरिक्त आयुक्त**,** जनजातीय विकास और अन्य **1 (**कुमारी**)**

माधुरी पाटिल)।

3. कुमारी माधुरी पाटिल **2** मामले में तथ्य अपने आप में एक तथ्य हैं।

इस समस्या का चित्रण।न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता अपनी बहन द्वारा प्राप्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जाति प्रमाण पत्र की मांग कर रहा था, जो अपने पिता द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के आधार पर दावा कर रही थी, जो उसे 'हिंदू कोली' जाति का प्रमाणित कर रही थी। जाँच पर, जाति के दावे गलत पाए गए और उसमें अपीलार्थी और उसकी बहन को जारी किए गए प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए।कुमारी माधुरी पाटिल 3 मामले में इस न्यायालय ने संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि राज्य को हमारी संवैधानिक योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को शिक्षा और रोजगार के लिए सुविधाएं और अवसर प्रदान करने का आदेश दिया गया था, ताकि आर्थिक सुधार हो सके, जिसके परिणामस्वरूप उत्कृष्टता, स्थिति की समानता और गरिमा के साथ जीने का अधिकार हो।इस प्रकार, गलत सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र के आधार पर गलत तरीके से प्राप्त किसी भी प्रवेश या गलत तरीके से प्राप्त रोजगार का स्वतः ही एक वास्तविक व्यक्ति को वंचित करने का प्रभाव पड़ता है जिसके लाभ के लिए संविधान के अंतर्गत अधिकार प्रदान किए गए हैं।साथ ही,

आरक्षण को देखते हुए, एक सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार एक अयोग्य उम्मीदवार से सीट हार जाता है, जो वास्तव में एससी/एसटी समुदाय से संबंधित नहीं है।इन जाति प्रमाणपत्रों को जारी करने में नियंत्रण और संतुलन के लिए कोई उचित प्रक्रिया या कानून प्रदान नहीं किया गया था और इस प्रकार, कुमारी माधुरी पाटिल 4 मामले में, सामाजिक स्थिति प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए निर्देश जारी करना आवश्यक समझा गया था।पंद्रह (15) निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन दो निर्देश, जो वर्तमान अपीलों में उठाए गए विवाद के लिए प्रासंगिक हैं, निम्नानुसार हैं:

/

/

/

/

/

"4. सभी राज्य सरकारें तीन अधिकारियों की एक समिति का गठन करेंगी, अर्थात् (1) एक अतिरिक्त या संयुक्त सचिव या कोई अन्य।

1 (1994) 6 एस. सी. सी. 241 2 (ऊपर)

3 (ऊपर) 4 (ऊपर)

/

693

डीआईएसटी। कलेक्टर सतारा और ए. एन. आर. बनाम

मंगेश निवृत्ति काशीद [संजय किशन कौल, जे.] ए.

/

संबंधित विभाग के निदेशक के पद में उच्चतर अधिकारी, (II) निदेशक, समाज कल्याण/जनजातीय कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण, जैसा भी मामला हो, और (III) अनुसूचित जातियों के मामले में एक अन्य अधिकारी जिसे सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र के सत्यापन और जारी करने में अंतरंग जानकारी है।अनुसूचित जनजातियों के मामले में, अनुसंधान अधिकारी जिसे जनजातियों, जनजातीय समुदायों, जनजातियों या जनजातीय समुदायों के हिस्सों या समूहों की पहचान करने में अंतरंग ज्ञान है।5. प्रत्येक निदेशालय को एक सतर्कता प्रकोष्ठ का गठन करना चाहिए जिसमें समग्र प्रभार में वरिष्ठ पुलिस उपाधीक्षक और सामाजिक स्थिति के दावों की जांच करने के लिए इतनी संख्या में पुलिस निरीक्षक शामिल हों।निरीक्षक उस स्थानीय निवास स्थान और मूल स्थान पर जाता था जहाँ से उम्मीदवार रहता है और आमतौर पर रहता

है या उस शहर या शहर में प्रवास के मामले में, जहाँ से वह मूल रूप से आया था।सतर्कता अधिकारी को उम्मीदवार या माता-पिता या अभिभावक, जैसा भी मामला हो, द्वारा दावा की गई सामाजिक स्थिति के सभी तथ्यों को व्यक्तिगत रूप से सत्यापित और एकत्र करना चाहिए।उसे स्कूल के अभिलेख , जन्म पंजीकरण, यदि कोई हो, की भी जांच करनी चाहिए।उसे माता-पिता, अभिभावक या उम्मीदवार से उनकी जाति आदि के संबंध में या ऐसे अन्य व्यक्तियों से भी पूछताछ करनी चाहिए जिन्हें उम्मीदवार की सामाजिक स्थिति का ज्ञान है और फिर संबंधित जातियों या जनजातियों या आदिवासी समुदायों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के विशिष्ट मानवशास्त्रीय और जातीय लक्षणों, देवता, अनुष्ठान, रीति-रिवाज, विवाह के तरीके, मृत्यु समारोह, शवों को दफनाने की विधि आदि से संबंधित सभी विवरणों के साथ निदेशालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। "

/

/

/

/

/

4. इन सभी निर्देशों को जारी करने का उद्देश्य इस निर्णय के पैरा 14 में स्पष्ट किया गया है, जो इस प्रकार हैः

“14. चूँकि यह प्रक्रिया निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हो सकती है और अनुचित देरी को कम कर सकती है और झूठी सामाजिक स्थिति पर भर्ती/नियुक्त उम्मीदवार की शिक्षा पर राज्य के लिए परिहार्य खर्च को भी रोक सकती है या उसमें आगे बनी रह सकती है, इसलिए प्रत्येक संबंधित राज्य को इसे प्रभावी बनाने का प्रयास करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि वास्तविक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों के लाभ और उन्नति के लिए अभिप्रेत संवैधानिक उद्देश्य, जैसा भी मामला हो, बेईमान व्यक्तियों द्वारा पराजित न हों। "

/

/

ऐसा प्रतीत होता है कि 2.9.1994 पर उनके जारी होने की तारीख से इन निर्देशों ने स्पष्ट रूप से अच्छा काम किया है।महाराष्ट्र राज्य ने कुछ प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण जांच समिति की संरचना में संशोधन के पहलू तक सीमित इस आदेश की समीक्षा की मांग की।इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया

कुमारी माधुरी पाटिल और अन्र**.** वी**.**एडल्ट।कॉम श्री।**,** जनजातीय विकास**,** ठाणे और अन्य। **5 (**कुमारी माधुरी पाटिल**-2)**

/

निम्नलिखित शर्तें -"3. जहाँ तक इस न्यायालय के आदेश के निर्देश सं. (iv) के साथ पठित प्रार्थना (ख) का संबंध है, हम भी राज्य के विशाल क्षेत्र के कारण होने वाली असुविधा की सराहना करते हैं।इसलिए, तीन अधिकारियों की एक समिति के बजाय, निर्णय लेने के लिए तीन सदस्यों की कोरम के साथ पांच सदस्यों वाली तीन अनुसूचित जनजाति/जाति जांच समितियां होंगी, जैसा कि निर्देशों के पैरा 4 में सुझाव दिया गया है।पुणे, नासिक और नागपुर में अनुसूचित जाति, विमुक्त जनजाति, खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती और नागपुर में मौजूद विशेष पिछड़े वर्ग के लिए छह जाति जांच समितियां संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्रों की जांच करना जारी रखेंगी और इस संबंध में निर्णय लेंगी।इस संबंध में, आवेदक के विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री ढोलकिया द्वारा यह भी सुझाव दिया गया है कि यदि प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण द्वारा किसी भी प्रमाण पत्र को गलत तरीके से अस्वीकार कर दिया गया है, तो वन समितियां भी इस प्रश्न पर विचार करेंगी और उस ओर से निर्णय लेंगी कि क्या इनकार करना गलत था और यदि यह पाया जाता है कि इनकार करना गलत था, तो वे प्रमाण पत्र देने के लिए प्राधिकरण को निर्देश देने के लिए स्वतंत्र हैं।

/

/

/

4. प्रार्थना (ग) के संबंध में भी, हम महसूस करते हैं कि समाज कल्याण, सांस्कृतिक मामलों और खेल विभाग के लिए जाति जांच समितियों में अतिरिक्त आयुक्त (राजस्व)-संबंधित राजस्व विभाग के अध्यक्ष; मंडल समाज कल्याण अधिकारी-सदस्य; और कल्याण अधिकारी-सदस्य-सचिव के रूप में अनुसंधान अधिकारी शामिल होने चाहिए। "

/

/

5. ऐसा प्रतीत होता है कि समय बीतने के साथ, और इस मुद्दे की जांच करने पर, महाराष्ट्र राज्य ने विधानसभा के समक्ष शिक्षा से परे के पहलुओं को शामिल करने के लिए एक विधायी अधिनियम रखने का संकल्प लिया।

/

695

डीआईएसटी। कलेक्टर सतारा और ए. एन. आर. बनाम

मंगेश निवृत्ति काशीद [संजय किशन कौल, जे.] ए.

और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों की विभिन्न श्रेणियों के लिए रोजगार।इस विधि को महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति), खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और विशेष पिछड़े वर्ग (जारी करने और सत्यापन का विनियमन) जाति प्रमाण पत्र अधिनियम, 2000 (जिसे इसके बाद '2000 का अधिनियम' कहा जाता है) के माध्यम से लागू किया गया था, जिसे 18.10.2001 से लागू किया गया था।इस अधिनियम की प्रस्तावना इस प्रकार हैः

/

“अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अधिसूचित जनजातियों (विमुक्त जातियों), खानाबदोश जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और विशेष पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने और उनके सत्यापन के विनियमन के लिए और उनसे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए एक अधिनियम।

/

चूंकि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विमुक्त जनजातियों, खानाबदोश जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और विशेष पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने और उनके सत्यापन के विनियमन के लिए और उनसे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए प्रावधान करना समीचीन है।

/

6. 2000 के अधिनियम ने एक जांच समिति के गठन का प्रावधान किया, जबकि पहले 'परिभाषा' खंड की धारा 2 (के) के अंतर्गत जांच समिति को परिभाषित किया गया और फिर 2000 के अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत उस समिति के गठन का प्रावधान किया गया।उक्त धाराएँ निम्नानुसार हैंः

/

/

“2. परिभाषाएँ।

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, -

... न्या।... न्या।... न्या।... न्या।... न्या।... न्या।

("जांच समिति" से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विमुक्त जनजातियों (विमुक्त जातियों), खानाबदोश जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों या विशेष पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन और इस अधिनियम के अंतर्गत जांच समिति के कार्य करने के लिए धारा 6 की उप-धारा (1) के अंतर्गत गठित समिति या समितियां अभिप्रेत हैं।

/

/

“6. जाँच समिति द्वारा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन।

696

/

[2019] 15 एस सी आर।

(1) सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 4 की उप-धारा (1) के अंतर्गत सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए एक या अधिक जांच समिति (समितियों) का गठन करेगी, जो उक्त अधिसूचना में ऐसी जांच समिति या समितियों में से प्रत्येक के कार्यों और अधिकार क्षेत्र को निर्दिष्ट करेगी।

/

(2) सक्षम प्राधिकारी से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, कोई भी व्यक्ति जो धारा 3 में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विमुक्त जनजातियों, खानाबदोश जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों या विशेष पिछड़े वर्ग को प्रदान किए गए लाभों या रियायतों का लाभ उठाने का इच्छुक है, वह ऐसे जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन और वैधता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए संबंधित जांच समिति को समय पर, ऐसे प्रपत्र में और उस तरीके से आवेदन कर सकता है जो निर्धारित किया जाए।

/

/

(3) केंद्र या राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, शैक्षणिक संस्थानों, सहकारी समितियों या किसी अन्य सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों का नियुक्ति प्राधिकरण, जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन और वैधता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जांच समितियों द्वारा निर्धारित किए गए प्रपत्र और उस तरीके से आवेदन करेगा, यदि कोई व्यक्ति

सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, शैक्षणिक संस्थानों, सहकारी समितियों या किसी अन्य सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में नियुक्ति के लिए चुना जाता है, जिन्होंने ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है।

/

/

(4) जाँच समिति जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी और सत्यापन और वैधता प्रमाण पत्र देने के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करेगी। "

/

7. इस प्रकार, यह ध्यान दिया जा सकता है कि अधिनियम, कुमारी माधुरी पाटिल 6 मामले में निर्णय के संदर्भ में, न तो निर्दिष्ट करता है

6 (ऊपर)

/

697

डीआईएसटी। कलेक्टर सतारा और ए. एन. आर. बनाम

मंगेश निवृत्ति काशीद [संजय किशन कौल, जे.] ए.

/

जाँच समिति की सटीक संरचना, और न ही सतर्कता समिति के पहलू को शामिल किया गया।

8. 2000 का अधिनियम लागू होने के बाद, कुमारी माधुरी पाटिल 7 मामले के अंतर्गत गठित जांच समिति जारी रही, और इसे उक्त निर्णय के संदर्भ में एक बार फिर गठित सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा सहायता प्रदान की गई।

/

9. वर्ष 2003 में, 2000 के अधिनियम की धारा 18 (1) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियम बनाने को सशक्त बनाते हुए, राज्य सरकार ने महाराष्ट्र अनुसूचित जनजाति (जारी करने और सत्यापन का विनियमन) प्रमाण पत्र नियम, 2003 (जिसे इसके बाद '2003 के नियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) को 4.6.2003 से लागू किया।ये नियम, जैसा कि उनके विवरण से स्पष्ट है, अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए प्रतिबंधात्मक थे।इन नियमों में आगे जांच समिति के गठन के लिए कोई विनिर्देश नहीं दिया गया था, सिवाय इसके कि एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और कोई अन्य सदस्य होगा।ये नियम हैं, जिन्हें अधीनस्थ कानून के रूप में बनाया गया है, जो सतर्कता प्रकोष्ठ में लाए गए।संबंधित नियम निम्नानुसार हैं:

/

/

“10. सतर्कता प्रकोष्ठ का गठन।-

राज्य सरकार जाँच करने के लिए प्रत्येक अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जाँच समिति की सहायता के लिए एक सतर्कता प्रकोष्ठ का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे -

/

(i) एक वरिष्ठ पुलिस उपाधीक्षक; (ii) पुलिस निरीक्षक (मामलों की संख्या के आधार पर निरीक्षकों की संख्या);

/

((iii) पुलिस निरीक्षक की सहायता के लिए पुलिस कांस्टेबल; (iv) अनुसंधान अधिकारी।

पुलिस कर्मी नियम 12 के उप-नियम (2) के अंतर्गत जांच समिति द्वारा किए गए संदर्भ के अनुसार स्कूल और घर की पूछताछ और अन्य जांच करके सामाजिक स्थिति के दावों की जांच करेंगे। "

/

... न्या।... न्या।... न्या।... न्या।... न्या।... न्या।

“12. जाँच समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।

7 (ऊपर)

/

(1) आवेदन प्राप्त होने पर, जांच समिति या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति आवेदन की जांच करेगा, आवेदक द्वारा दी गई जानकारी और दस्तावेजों का सत्यापन करेगा और आवेदन की प्राप्ति को स्वीकार करेगा।सदस्य सचिव सत्यापन के लिए प्राप्त आवेदन को अध्यक्ष द्वारा निर्धारित रजिस्टर में पंजीकृत करेगा।

/

(2) यदि जांच समिति आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से संतुष्ट नहीं होती है तो जांच समिति स्कूल, गृह और अन्य जांच करने के लिए सतर्कता प्रकोष्ठ को आवेदन भेजेगी।

/

(3) सतर्कता अधिकारी उस स्थानीय निवास स्थान और मूल स्थान पर जाएगा जहाँ से आवेदक रहता है और आमतौर पर रहता है, या प्रवास के मामले में, उस शहर या शहर या स्थान पर जाएगा जहाँ से वह मूल रूप से आया था।

/

(4) सतर्कता अधिकारी व्यक्तिगत रूप से आवेदक या उसके माता-पिता या अभिभावक, जैसा भी मामला हो, द्वारा दावा की गई सामाजिक स्थिति के बारे में सभी तथ्यों का सत्यापन और संग्रह करेगा।

/

(5) सतर्कता प्रकोष्ठ आवेदक के माता-पिता या अभिभावक या आवेदक की उनकी जनजाति के सत्यापन के उद्देश्य से भी जांच करेगा।

(6) जाँच पूरी होने के बाद, सतर्कता प्रकोष्ठ अपनी रिपोर्ट जाँच समिति को सौंपेगा जो बदले में सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की जाँच करेगी।(7) यदि सतर्कता प्रकोष्ठ की रिपोर्ट आवेदक के पक्ष में है, और यदि जांच समिति संतुष्ट है कि आवेदक का दावा वास्तविक और सत्य है, तो जांच समिति वैधता प्रमाण पत्र जारी कर सकती है।वैधता प्रमाण पत्र फॉर्म जी में जारी किया जाएगा।

/

/

(8) यदि जांच समिति, सतर्कता प्रकोष्ठ की रिपोर्ट और उपलब्ध अन्य दस्तावेजों के आधार पर, आवेदक के दावे के बारे में संतुष्ट नहीं होती है, तो समिति आवेदक और ए.

/

699

डीआईएसटी। कलेक्टर सतारा और ए. एन. आर. बनाम

मंगेश निवृत्ति काशीद [संजय किशन कौल, जे.] ए.

सतर्कता अधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति देय पावती के साथ पंजीकृत डाक द्वारा भेजें।यदि आवश्यक हो तो एक प्रति संबंधित विभाग के प्रमुख को भी भेजी जाएगी।नोटिस इंगित करेगा कि

अभ्यावेदन या जवाब, यदि कोई हो, नोटिस प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर और किसी भी मामले में नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए।यदि आवेदक समय-सीमा के स्थगन या विस्तार के लिए अनुरोध करता है, तो उचित समय दिया जा सकता है।

/

(9) (क) व्यक्तिगत सुनवाई के बाद यदि जांच समिति दावे की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट है, तो वैधता प्रमाण पत्र फॉर्म जी में जारी किया जाएगा।

/

(ख) व्यक्तिगत सुनवाई के बाद, यदि जांच समिति अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के दावे की वास्तविकता और शुद्धता के बारे में संतुष्ट नहीं है, तो वह प्रमाणपत्र को रद्द करने और जब्त करने का आदेश पारित करेगी और रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियां लेने और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगी।अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र पर तब "रद्द और जब्त" के रूप में मुहर लगाई जाएगी।""

/

/

उपरोक्त नियमों को पढ़ने से पता चलता है कि कुमारी माधुरी पाटिल 8 मामले के अंतर्गत परिकल्पित भूमिका की तुलना में सतर्कता प्रकोष्ठ की भूमिका सीमित थी, क्योंकि जांच समिति को प्रदान की जाने वाली सहायता हर मामले में नहीं थी, बल्कि केवल तभी थी जब जांच समिति आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से संतुष्ट नहीं थी।

/

10. ऐसा प्रतीत होता है कि हालांकि यह प्रतिबंधात्मक था, केवल अनुसूचित जनजातियों के लिए, व्यावहारिक रूप से, कुमारी माधुरी पाटिल 9 के अंतर्गत गठित समिति जारी रही और सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा सत्यापन उपरोक्त नियमों के अनुसार किया गया, भले ही यह अनुसूचित जनजाति श्रेणी तक ही सीमित था।यह प्रथा स्पष्ट रूप से बिना किसी विरोध या इस न्यायालय से किसी और स्पष्टीकरण के जारी रही।इसमें स्पष्टीकरण मांगने पर

/

8 (ऊपर) 9 (ऊपर)

/

700

/

इसकी ओर से, हमें सूचित किया गया कि 2003 के नियमों का पालन एक 'अनुरूप' सिद्धांत के अनुप्रयोग के सिद्धांत पर किया गया था।

11. हम एक अन्य विकास पर ध्यान दे सकते हैं, अर्थात, एक चुनौती जो कुमारी माधुरी पाटिल 10 मामले में दिशानिर्देशों की संवैधानिक वैधता के लिए रखी गई थी, जिसे संविधान पीठ को भेजा गया था और इन निर्देशों को दयराम बनाम सुधीर बाथम और अन्य में बरकरार रखा गया था। 11 संविधान पीठ ने राय दी कि जारी किए गए निर्देश नागरिकों के पिछड़े वर्गों के मौलिक अधिकारों की वास्तविक प्राप्ति के लिए आंतरिक थे।हालाँकि, ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह विशेष रूप से राय दी गई थी कि ये निर्देश तब तक लागू रहेंगे जब तक कि राज्य सरकारें कुमारी माधुरी पाटिल मामले में निर्धारित मानदंडों को प्रतिस्थापित करने के लिए उचित कानून नहीं बनाती हैं।यह भी राय दी गई कि जाति प्रमाण पत्र की सत्यता का पता लगाने के लिए सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा जांच को एक मुख्य आवश्यकता माना जाना चाहिए।न्यायिक सक्रियता और न्यायिक प्रतिबंध के साथ-साथ न्यायिक कानून के पहलू पर चर्चा करने के बाद, यह निम्नानुसार राय दी गईः

/

/

/

“22. इसलिए, हमारा विचार है कि संविधान के अनुच्छेद 142 और 32 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी किए गए निर्देश 1 से 15 वैध और प्रशंसनीय हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी कानून के अभाव में रिक्तता को भरने के लिए बनाया गया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल वास्तविक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों ने आरक्षण का लाभ प्राप्त किया और फर्जी उम्मीदवारों को बाहर रखा गया।इस तरह के निर्देश जारी करके, यह न्यायालय विधायिका के कार्यों को अपने हाथ में नहीं ले रहा था, बल्कि केवल उस रिक्तता को भर रहा था जब तक कि विधायिका एक उपयुक्त विधि बनाने का विकल्प नहीं चुनती। "

/

12. 2000 का अधिनियम, जिसमें जारी किए जाने वाले सभी प्रमाणपत्रों के लिए एक व्यापक दिशा-निर्देश है, ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष 2011 में होने वाले स्थानीय स्वशासन चुनावों के दौरान कुछ कठिनाई की परिकल्पना की गई थी।इस मुद्दे पर विवाद, इस प्रकार, 2000 के अधिनियम की धारा 6 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य के सामाजिक न्याय, विशेष सहायता विभाग द्वारा दिनांकित एक अधिसूचना जारी करने के साथ शुरू होता है।प्रावधान इस प्रकार हैः

/

/

“6. जाँच समिति द्वारा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन।

10 (ऊपर)

11 (2012) 1 एससीसी 333 ए

/

701

डीआईएसटी। कलेक्टर सतारा और ए. एन. आर. बनाम

मंगेश निवृत्ति काशीद [संजय किशन कौल, जे.] ए.

(1) सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 4 की उप-धारा (1) के अंतर्गत सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए एक या अधिक जांच समिति (समितियों) का गठन करेगी, जो उक्त अधिसूचना में ऐसी जांच समिति या समितियों में से प्रत्येक के कार्यों और अधिकार क्षेत्र को निर्दिष्ट करेगी।

/

13. यह राज्य सरकार का मामला है कि चुनाव लड़ने के इच्छुक हजारों उम्मीदवारों के साथ, चुनाव लड़ने के लिए मांगे गए जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदनों की बाढ़ से निपटने के लिए एक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की आवश्यकता थी।इस अधिसूचना के संदर्भ में, स्थानीय अधिकारियों के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्रों को सत्यापित करने के लिए पैंतीस जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया था।कुमारी माधुरी पाटिल-II 12 मामले के अंतर्गत अतिरिक्त आयुक्त (राजस्व) के पहले के प्रावधान के विपरीत, जाति जांच समिति के अध्यक्ष को जिला कलेक्टर या अतिरिक्त जिला कलेक्टर (आई. ए. एस.) के रूप में निर्दिष्ट किया गया था।उक्त अधिसूचना के प्रासंगिक भाग को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः“और जबकि महाराष्ट्र सरकार ने अब किसी भी स्थानीय प्राधिकरण में निर्वाचक पद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उद्देश्य से उक्त जांच समितियों के अध्यक्ष के रूप में जिला कलेक्टर या अतिरिक्त जिला कलेक्टर (आई. ए. एस.) को नियुक्त करने के लिए जिला वार जाति जांच समितियों का गठन करने का निर्णय लिया है।

/

/

/

इसलिए अब महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति (विमुक्त जाति), खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और विशेष पिछड़े वर्ग (जारी करने और सत्यापन का विनियमन) जाति प्रमाण पत्र अधिनियम 2000 (एम. ए. एच.) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए। 2001 का XXIII), महाराष्ट्र सरकार एतद्द्वारा उन उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए पैंतीस जिला जाति जांच समितियों का गठन करती है जो (एस. आई. सी.) उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अंतर्गत सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किसी भी स्थानीय प्राधिकरण में निर्वाचक पद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं।

/

/

उपरोक्त अधिसूचना के उद्धरण को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि इसका उद्देश्य जाति प्रमाण पत्र जारी करने में सुविधा प्रदान करना था

12 (ऊपर)

13 पढ़ा जाए कि कौन चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं।

/

"उन उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन जो (एस. आई. सी.) किसी भी स्थानीय प्राधिकरण में वैकल्पिक पद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं।"

14. इस अभ्यास में सामने आई कहानी को आक्षेपित निर्णय में प्रस्तुत एक चार्ट द्वारा सबसे अच्छी तरह से चित्रित किया गया है, जो उस मामले में जारी निर्देशों के अनुपालन का परिणाम था।चार्ट को प्रत्येक जिले को निर्दिष्ट करने के साथ विभाजन-वार बनाया गया था।चार्ट को पूरी तरह से पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र के लिए शीर्षकों और अंतिम आंकड़ों को पुनः प्रस्तुत करना हमारे उद्देश्य के लिए पर्याप्त हैः

/

प्रताप-बी

उच्चतम न्यायालय, बॉम्बे में याचिका NO.853/2012 लिखने के संबंध में आवश्यक जानकारी।
प्रताप-बी

S कच व व च कव व व
1 / 3 / / / 7 ' / 1

/

/

....

	कुल महाराष्ट्र	36929	1427	35505	7664	4

/

15. इस प्रकार, उपरोक्त से पता चलता है कि कुछ प्रमाणपत्रों पर केवल चुनाव उद्देश्यों के लिए मुहर लगाई गई थी, जबकि अन्य पर नहीं।इन प्रमाणपत्रों के सत्यापन का तरीका उन्हें जारी किए जाने की गति से स्पष्ट होगा, जिससे यह स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है कि कोई उचित सत्यापन हो सकता था।कॉलम 8 और 9 में ही दिखाया गया है कि अभ्यास कैसे किया गया था। इस अभ्यास के बारे में जितना कम कहा जाए, उतना ही बेहतर है!

/

16. यह इन तथ्यों के संदर्भ में है कि उच्च न्यायालय रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय बहुत परेशान था, जहां याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई प्रार्थना, अन्य बातों के साथ, जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र थे और जारी नहीं किए गए थे।एक संशोधन द्वारा, विशेष रूप से एक रिट की मांग की गई थी जिसमें उपरोक्त सरकारी प्रस्ताव दिनांक 30.7.2011 अपास्त करते हुए करने और अलग करने की मांग की गई थी।इन कार्यवाहियों में, दिनांक 1 के एक विस्तृत निर्णय के माध्यम से, इस प्रस्ताव को इस निर्देश के साथ रद्द कर दिया गया था कि समिति के गठन और ए के संचालन दोनों के मामले।

/

/

703

डीआईएसटी। कलेक्टर सतारा और ए. एन. आर. बनाम

मंगेश निवृत्ति काशीद [संजय किशन कौल, जे.] ए.

सतर्कता प्रकोष्ठ (अनिवार्य होने के कारण), कुमारी माधुरी पाटिल 14 मामले में दिए गए निर्देशों को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए।30.7.2011 के सरकारी प्रस्ताव के अनुसरण में जारी किए गए मूल प्रमाणपत्रों को संबंधित व्यक्तियों से बरामद करने और तुरंत नष्ट करने का निर्देश दिया गया था।

/

17. उपरोक्त निर्णय पर हमारे समक्ष अपीलों के इस समूह में हमला किया गया था, और आक्षेपित निर्णय के संचालन पर दिनांकित 30.7.2012 आदेश के माध्यम से रोक लगा दी गई थी।परिणाम यह हुआ है कि उपरोक्त परिपत्र के अंतर्गत जारी किए गए ये प्रमाण पत्र जारी हैं और 2003 के नियमों के साथ 2000 के अधिनियम के अनुसार प्रक्रिया का पालन किया गया है।

/

18. अगला महत्वपूर्ण विकास महाराष्ट्र अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अधिसूचित जनजातियों (विमुक्त जातियों), खानाबदोश जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और विशेष पिछड़े वर्ग (जारी करने और सत्यापन का विनियमन) जाति प्रमाण पत्र नियम, 2012 (जिसे इसके बाद '2012 के नियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) का अधिनियमन है, जिन्हें 31.8.2012 पर अधिसूचित किया गया था।ये नियम 2003 के नियमों के विपरीत व्यापक हैं।जाँच समिति के गठन का प्रावधान नियम 11 में किया गया है, जबकि सतर्कता प्रकोष्ठ के गठन का प्रावधान 2012 के नियमों के नियम 12 में किया गया है, और इसे नीचे पढ़ा गया हैः

/

/

“11. जाँच समिति का गठन।– जाँच समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्ः-

(अ)	संभागीय आयुक्त या अतिरिक्त संभागीय आयुक्त (राजस्व) या कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर (आई. ए. एस.) या अतिरिक्त कलेक्टर (चयन ग्रेड) या राज्य	सभापति

	सरकार के संयुक्त सचिव या राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे का कोई भी अधिकारी।	
(ख)	उपायुक्त (समाज कल्याण) या क्षेत्रीय उपायुक्त (समाज कल्याण) या संभागीय समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
((ग)	अनुसंधान अधिकारी या सहायक आयुक्त (समाज कल्याण) या विशेष जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य-सचिव

/

/

14 (ऊपर)

/

704

/

[2019] 15 एस सी आर।

12. सतर्कता प्रकोष्ठ का गठन।– (1) नियम 17 के अंतर्गत क्षेत्र जांच करने में प्रत्येक जांच समिति की सहायता के लिए एक सतर्कता प्रकोष्ठ होगा।सतर्कता प्रकोष्ठ में, (ए) पुलिस उपाधीक्षक या समकक्ष; (बी) पुलिस निरीक्षक शामिल होंगे।

/

(ग) पुलिस निरीक्षकों की सहायता के लिए पुलिस कांस्टेबल।

(2) सतर्कता प्रकोष्ठ का अधिकार क्षेत्र घरेलू जांच और दस्तावेजों की प्रामाणिकता के सत्यापन सहित सभी उद्देश्यों के लिए संबंधित जांच समिति के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अधीन होगाः

/

बशर्ते कि, उचित मामले में, यदि जांच समिति महसूस करती है, तो वह किसी अन्य संबंधित जांच समिति से सतर्कता जांच की रिपोर्ट मांग सकती है।

(3) सतर्कता प्रकोष्ठ संबंधित जाति जांच समिति के नियंत्रण और पर्यवेक्षण अंतर्गत काम करेगा। "

/

19. यह ध्यान देने योग्य है कि, एक बार फिर, सतर्कता जांच की रिपोर्ट मांगने का विवेकाधिकार जांच समिति पर छोड़ दिया गया है, न कि इसे अनिवार्य बनाना।इस प्रकार, एक बार इन नियमों को लागू करने के बाद, इन नियमों के अंतर्गत जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन और जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है।

/

20. इन अपीलों की सुनवाई के दौरान, निर्विवाद रूप से यह सामने आया कि जिस अवधि के बारे में हम चिंतित हैं, वह 30.7.2011 पर जारी की जा रही अधिसूचना और 31.8.2012 पर अधिसूचित किए जा रहे नियमों के बीच है।नियमों को किसी ने चुनौती नहीं दी है और मैदान पर डटे हुए हैं।इस प्रकार, हमें वास्तव में यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि अधिसूचना आने से पहले या नियम आने के बाद क्या हुआ था।हम यह भी नोट कर सकते हैं कि हमारे सामने चुनौती केवल स्थानीय निकाय चुनावों के उद्देश्यों के लिए जारी किए गए प्रमाणपत्रों के संबंध में है, क्योंकि किसी अन्य श्रेणी के किसी भी व्यक्ति ने न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया है। इस प्रकार, क्या अनुसूचित जनजाति श्रेणी पर लागू होने वाले 2003 के नियमों को सभी श्रेणियों पर 'अनुरूप' सिद्धांत पर लागू किया जाना चाहिए था, इसके लिए हमारे निर्णय की आवश्यकता नहीं है।2012 के नियमों की अधिसूचना के बाद जारी किए गए प्रमाणपत्रों में से किसी को भी हमारे निर्णय की आवश्यकता नहीं है।यह केवल अंतराल अवधि है जिसके बारे में हम चिंतित हैं।हालाँकि, इस अंतरिम अवधि से निपटने के लिए, कुछ व्यापक सिद्धांतों पर चर्चा की जानी चाहिए।

/

/

/

705

डीआईएसटी। कलेक्टर सतारा और ए. एन. आर. बनाम

मंगेश निवृत्ति काशीद [संजय किशन कौल, जे.] ए.

/

21. आक्षेपित आदेश में एक पहलू, पैरा 22 में, बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंड पीठ का आदेश है, जिसमें लिखित याचिका No.2527/2009 में, दिनांकित 20.1.2010 के निर्णय के माध्यम से, यह राय दी गई है कि अतिरिक्त कलेक्टर की जांच समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति विधि के अनुसार नहीं है, और यह मामला विशेष अनुमति याचिका No.6003/2010 में इस न्यायालय के समक्ष अपील का विषय था, जिसे 5.7.2011 पर स्वीकार किया गया था।इस ओर से, हमें सूचित किया गया है कि जब अपील सुनवाई के लिए ली गई थी, तो याचिका दायर करने वाले निजी उत्तरदाताओं ने जाति जांच समिति की वैधता को चुनौती वापस ले ली और गुण-दोष के आधार पर रिट याचिका के निपटारे के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर करना चाहते थे।इस प्रकार, अपील को निष्फल बताते हुए निपटाया गया। इसका उद्देश्य केवल यह ध्यान रखना है कि इस संबंध में कोई राय नहीं दी गई है।

/

/

22. हम यह भी नोट कर सकते हैं कि उच्च न्यायालय के समक्ष तीन प्रकार की रिट याचिकाएं दायर की गई थीं।रिट याचिकाकर्ताओं का पहला समूह वे थे जो स्थानीय सरकार के आगामी चुनावों में भाग लेने का इरादा रखते थे, भले ही उनके पास उस स्तर पर जाति वैधता प्रमाण पत्र न हो।प्रार्थना जांच के समय जाति वैधता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त में ढील देने के लिए थी, जिसे अनिवार्य बना दिया गया था (हालांकि एक बार जारी किया गया वह प्रमाण पत्र सभी उद्देश्यों के लिए वैध रहना था)।रिट याचिकाकर्ताओं का दूसरा समूह वे थे जिनके जाति प्रमाण पत्रों को जांच समितियों द्वारा अमान्य कर दिया गया था, और उन्होंने निर्वाचन अधिकारी को आगामी चुनावों में भाग लेने की अनुमति देने के निर्देश के साथ निर्णय को चुनौती देने की मांग की।याचिकाकर्ताओं का तीसरा समूह वे थे जिन्होंने दोनों याचिकाओं में पार्टी प्रतिवादी उम्मीदवारों को दिए गए जाति वैधता प्रमाण पत्रों को इस आधार पर चुनौती दी थी कि उक्त प्रमाण पत्र धोखाधड़ी से प्राप्त किए गए थे, जिसमें चुनाव आयोग को ऐसे उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों को अस्वीकार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।आक्षेपित निर्णय याचिकाकर्ताओं के तीसरे समूह के संदर्भ में दिया गया है।प्रश्न प्रमाणपत्रों पर आरोप लगाया गया था कि वे सतर्कता रिपोर्ट के बिना और बहुत कम समय के भीतर प्राप्त किए गए थे, जैसा कि उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट होगा।

/

/

/

/

23. हालाँकि, आक्षेपित आदेश के खिलाफ शिकायत न केवल याचिकाकर्ताओं के तीसरे समूह तक सीमित है, बल्कि याचिकाकर्ताओं के दूसरे समूह में से कुछ के लिए भी है, जैसा कि जांच समितियों के नहीं होने के कारण है।

/

706

/

[2019] 15 एस सी आर।

कुमारी माधुरी पाटिल-II 15 मामले के अनुसार गठित, उनका तर्क है कि कोई वैध रूप से गठित जांच समिति नहीं थी, जो उनके जाति प्रमाणपत्रों को अमान्य कर सके।

जाँच समितियों की संरचना

24. आक्षेपित आदेश को एक तर्क पर आधारित किया गया है, जैसे कि कुमारी माधुरी पाटिल 16 मामले में निर्णय , जैसा कि कुमारी माधुरी पाटिल-II 17 मामले द्वारा संशोधित किया गया था, पत्थर में उत्कीर्ण किया गया था, और विधायिका के लिए यह खुला नहीं था कि उसने इसके विपरीत या अपमान में विधि बनाया हो।

/

25. उपरोक्त पहलू पर, पक्षों के विद्वान वकील को सुनने पर, हम उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए तर्क से सहमत होने के लिए खुद को राजी करने में असमर्थ हैं।किसी भी न्यायिक कानून का उद्देश्य रिक्तता को भरना है।यह विधायकों को विधि बनाने से नहीं रोकता है।न्यायिक सक्रियता या न्यायिक कानून रिक्तता के अस्तित्व के कारण उभरा, और यह राय दी गई कि सर्वोच्च न्यायालय निराशा में अपने हाथ जोड़ने और न्यायिक निवारण के लिए उसके सामने आए नागरिक की मदद करने में अपनी असमर्थता का अनुरोध करने के लिए विवश नहीं होगा

/

/

ऐसी स्थिति में (बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ और

ओआरएस। 18)।इस न्यायालय द्वारा यह पाया गया है कि अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त पर्याप्त शक्ति है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 142 के साथ पढ़ा जाता है, जो संविधान के अनुच्छेद 141 के आधार पर विधि के प्रभाव वाले आदेश देने के लिए, रिक्तता को भरने के लिए निर्देश जारी करके, जब तक कि विधायिका अंतराल को पूरा करने के लिए कदम नहीं उठाती है, या कार्यकारी निर्वहन करती है।

/

इसकी भूमिका **(**विनीत नारायण और ओआरएस**.** वी**.**भारत संघ और अन्य। **19)**।एक क्लासिक

इसका उदाहरण विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 20 का मौलिक निर्णय रहा है, जिसने कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की बुराई को रोकने के लिए प्रभावी उपाय तैयार किए हैं।इस संबंध में कई न्यायिक निर्णय हैं, लेकिन उन्हें हमें और अधिक हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है, विशेष रूप से इस कारण से कि उसी निर्णय में आक्षेपित आदेश, यानी कुमारी माधुरी पाटिल 21 मामले, संविधान पीठ, की वैधता की जांच करते हुए भरोसा किया गया था।

/

/

15 (उपर्युक्त) 16 (उपर्युक्त) 17 (उपर्युक्त)

18 (1984) 3 एससीसी 161 19 (1998) 1 एससीसी 226 20 (1997) 6 एससीसी 241 21 (ऊपर)

/

707

डीआईएसटी। कलेक्टर सतारा और ए. एन. आर. बनाम

मंगेश निवृत्ति काशीद [संजय किशन कौल, जे.] ए.

/

निर्देशों और उन्हें बरकरार रखते हुए स्पष्ट रूप से कहा गया था कि "इस तरह के निर्देश जारी करके, यह न्यायालय विधायिका के कार्यों को नहीं ले रहा था, बल्कि केवल रिक्तता को भर रहा था जब तक कि विधायिका एक उपयुक्त विधि बनाने का विकल्प नहीं चुनती।" 22 यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि ये टिप्पणियां, संविधान पीठ की होने के नाते, हम पर बाध्यकारी होंगी, और इसलिए यह स्वाभाविक रूप से उच्च न्यायालय पर भी होगी।हम ध्यान दें कि कुमारी माधुरी पाटिल 23 मामले में दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया था कि यह सही समय है कि भारत सरकार इस मामले की अधिक विस्तार से जांच करे और आवश्यक दिशानिर्देशों और नियमों (जनजातीय निदेशक) के साथ एक समान कानून बनाए।

/

कल्याण**,** आंध्र प्रदेश बनाम लवेती गिरि और अन्न। **24)** और के रूप में देखा गया

इसके अंतर्गतः

/

“8. उपरोक्त दिशानिर्देशों को व्यवहार्य सिद्धांत बताते हुए, यह सही समय है कि भारत सरकार इस मामले की अधिक विस्तार से जांच करे और संविधान का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर दंडात्मक परिणाम निर्धारित करने वाले आवश्यक दिशानिर्देशों और नियमों के साथ एक समान कानून बनाए, ताकि झूठे अभिलेख को गढ़ने और सादे/नकली व्यक्तियों द्वारा असंवैधानिक लाभ प्राप्त करने के खतरे को रोका जा सके।ऐसा न हो कि वे अनुच्छेद 14,15,16,38 और 39 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में अनुच्छेद 46 के अंतर्गत परिकल्पित सामाजिक-आर्थिक न्याय प्रदान करने के संवैधानिक उद्देश्य को विफल कर देंगे। "

/

/

26. यदि हम उपरोक्त कानूनी स्थिति के संदर्भ में विवाद की जांच करते हैं, जहां तक जांच समिति की संरचना का संबंध है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उक्त समिति की संरचना विशेष रूप से कुमारी माधुरी पाटिल 25 मामले में निर्देशित की गई थी, और कुमारी माधुरी पाटिल-II 26 मामले द्वारा संशोधित की गई थी।संशोधन का अवसर भी बड़ी संख्या में मामलों से निपटने के कारण उत्पन्न हुआ।जब तक अधिसूचना या विधान के अंतर्गत बनाई गई प्रक्रिया विधि की आवश्यकता को पूरा करती है, यह नहीं कहा जा सकता है कि समिति को केवल इस न्यायालय के निर्देशों के अनुसार होना चाहिए।

/

/

22 दयराम बनाम सुधीर बाथम और अन्य (ऊपर) 23 (ऊपर)

24 (1995) 4 एस. सी. सी. 32 25 (ऊपर)

26 (ऊपर)

/

हम पहले ही देख चुके हैं कि 2012 के नियमों को अधिसूचित किए जाने के बाद, वास्तव में कोई समस्या नहीं है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2000 के अधिनियम की धारा 6 (1) के संदर्भ में अधिसूचना दिनांक 30.7.2011 जारी करने की शक्ति मौजूद थी।इस प्रकार, समिति

का गठन विशिष्ट वैधानिक शक्ति के अनुसरण में किया गया था।यह प्रमाणपत्रों के सत्यापन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत करके विभिन्न समितियों की स्थापना के बड़े मुद्दे को कम करने के लिए भी था।जहाँ तक प्रत्यायोजित विधान या वैधानिक शक्तियों के अंतर्गत जारी अधिसूचना का संबंध है, चुनौती केवल अच्छी तरह से तय किए गए सिद्धांतों के संदर्भ में ही रखी जा सकती है।या तो नियम या अधिसूचना अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है, या संविधान के किसी भी प्रावधान के विपरीत है, या एक संघर्ष लाता है जिसे न्यायालय द्वारा हल करने की आवश्यकता है।27 हमारे सामने चुनौती इनमें से किसी भी मापदंड पर आधारित नहीं है, बल्कि केवल इस आधार पर है कि अधिसूचना कुमारी माधुरी पाटिल 28 मामले में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के बिल्कुल अनुरूप नहीं है।इस तरह की चुनौती ऐसे अधीनस्थ विधान/वैधानिक अधिसूचनाओं की जांच के तय किए गए सिद्धांतों को देखते हुए पोषणीय नहीं होगी।इस प्रकार, एक बार जब विधायिका एक विधायी नीति निर्धारित करती है, और ऐसी नीति के निष्पादन के लिए प्रशासनिक एजेंसी को विवेकाधिकार प्रदान करती है, तो यह एजेंसी पर निर्भर करता है कि वह नीति के ढांचे के भीतर विवरण तैयार करे।29

/

/

/

सतर्कता प्रकोष्ठ की रिपोर्ट की आवश्यकता

/

27. चुनौती का दूसरा भाग सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा प्रमाणपत्रों के सत्यापन की आवश्यकता से संबंधित है।कुमारी माधुरी पाटिल 30 मामले में निर्णय के संदर्भ में इसे अनिवार्य होने का प्रावधान किया गया था।उच्च न्यायालय द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं की विशालता, इस तरह के प्रमाण पत्रों के असत्यापित जारी होने के कारण उत्पन्न होने वाली कई याचिकाओं के माध्यम से, संभवतः उच्च न्यायालय को इस संबंध में सख्त मानदंड निर्धारित करने के लिए राजी किया।हालाँकि, जैसा कि प्रश्न अंतराल अवधि के लिए लागू किया गया था, सतर्कता प्रकोष्ठ से इनपुट केवल चुनिंदा रूप से प्राप्त किया गया था।2012 के नियमों के अंतर्गत भी, आवश्यकता अनिवार्य नहीं है, लेकिन जहां भी जांच समिति को लगता है कि वह सतर्कता जांच की रिपोर्ट "मांग सकती है"।हालाँकि, हमें कोई संकोच नहीं है कि

/

/

27 इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (बॉम्बे) प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस बनामभारत संघ (यू. ओ. आई.) और अन्य, ए. आई. आर. 1986 एस. सी. 515।

28 (ऊपर)

29 खंभालिया नगरपालिका बनाम गुजरात राज्य, ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1048 30 (ऊपर)

/

709

डीआईएसटी। कलेक्टर सतारा और ए. एन. आर. बनाम

मंगेश निवृत्ति काशीद [संजय किशन कौल, जे.] ए.

/

जारी किए जाने वाले ऐसे प्रमाणपत्रों के उचित सत्यापन के महत्व पर जोर दें, और प्रमाण पत्र जारी करने का अभ्यास आकस्मिक नहीं हो सकता है।वैधता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए गठित जांच समिति को, इस प्रकार, कम से कम संदेह पर सतर्कता प्रकोष्ठ की सहायता लेनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गैर-हकदार व्यक्ति हकदार व्यक्तियों की कीमत पर लाभान्वित न हों।हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका 2012 के नियमों के अंतर्गत पालन किया जाएगा।

/

28. हालाँकि, मामला इस पर नहीं रुक सकता क्योंकि शक्ति का अस्तित्व और उसका प्रयोग दो अलग-अलग पहलू हैं।उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण, हमें प्रतीत होता है कि दी गई स्थिति में जांच समिति द्वारा किए गए अभ्यास के तरीके और सतर्कता प्रकोष्ठ की सहायता (या नहीं मांगी गई) के आकस्मिक तरीके के संदर्भ में था।उन पहलुओं पर हम उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं।30.7.2011 (जब अधिसूचना जारी की गई थी) और 31.8.2012 (जब 2012 के नियम अधिसूचित किए गए थे) के बीच की अवधि में की गई कवायद हमें उच्च न्यायालय के रूप में गंभीर संदेह के साथ छोड़ देती है, और हमारा विचार है कि कोई उचित कवायद नहीं की जा सकती थी, या उस समय सीमा को देखते हुए की गई थी जिसके भीतर जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए थे।उद्देश्य स्पष्ट था, यानी, किसी भी तरह से अधिक से अधिक लोगों को जल्द से जल्द चुनाव लड़ने की सुविधा प्रदान करना।29. परेशान करने वाला पहलू यह है कि वैधता प्रमाण पत्र न केवल उस चुनाव के लिए, बल्कि बाद के चुनावों के लिए भी मान्य हैं।वे न केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए मान्य हैं (कुछ मामलों को छोड़कर जो इतने प्रतिबंधित हैं), बल्कि अन्य सभी उद्देश्यों के लिए भी मान्य हैं।ये वैधता प्रमाण पत्र संभवतः कानूनी उत्तराधिकारियों को और प्रमाण पत्र जारी करने का आधार बन सकते हैं।इस प्रकार, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस प्रकार की गई कवायद को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और उपरोक्त कवायद को नए सिरे से करने के निर्देश के साथ इसे रद्द करना होगा।

/

/

/

/

30. 2012 के नियमों के अधिनियमन से आगे का विकास यह है कि उक्त तंत्र अब अधिनियमित नियमों के भीतर ही उपलब्ध है।यहाँ तक कि चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाता भी इस बात पर गंभीरता से विवाद नहीं कर सके कि अब 2012 के नियमों के अंतर्गत एक नए सत्यापन अभ्यास के लिए उचित कार्यप्रणाली होगी।राज्य सरकार के विद्वान वकील भी 2012 के नियमों के अंतर्गत की जाने वाली इस कवायद पर गंभीरता से विवाद नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने केवल पहले से जारी किए गए प्रमाणपत्रों और उन प्रमाणपत्रों को तुरंत वापस लेने से पैदा होने वाली जटिलताओं के बारे में चिंता व्यक्त की।

/

/

710

/

[2019] 15 एस सी आर।

31. हम उपरोक्त समस्या की सराहना करते हैं और इस प्रकार, हमारा विचार है कि नई कवायद आज से छह (6) महीने की अवधि के भीतर, यानी 31.3.2020 को या उससे पहले की जानी चाहिए।जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक गर्भावस्था के बीच की अवधि के लिए जारी किए गए मौजूदा प्रमाण पत्र सही रहेंगे।यह कवायद सभी प्रमाणपत्रों के संबंध में की जानी चाहिए, सिवाय उन मामलों के जहां सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा सत्यापन के बाद वैधता प्रमाण पत्र जारी किया गया था।हालाँकि, हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि, हमें बताए गए मामले को देखते हुए, जहां सतर्कता प्रकोष्ठ ने अन्यथा राय दी है और फिर भी एक जाति वैधता प्रमाण पत्र जारी किया गया है, अभ्यास को नए सिरे से किया जा सकता है।इस प्रकार, जहां कहीं भी सतर्कता प्रकोष्ठ की प्रतिकूल रिपोर्ट है और फिर भी जाति वैधता प्रमाण पत्र जारी किया गया है, इस अभ्यास को नए सिरे से किया जाना चाहिए।यह जोड़ा जा सकता है कि जिन लोगों के जाति प्रमाण पत्रों को जाति जांच समिति द्वारा बिना किसी सतर्कता जांच के खारिज कर दिया गया था, उन्हें 2012 के नियमों के नियम 7 के अनुसार इस तरह की अस्वीकृति के खिलाफ अपील करने का अधिकार दिया जा सकता है।

/

/

32. हम ध्यान दे सकते हैं कि हमारे सामने प्रभावित निजी उत्तरदाताओं द्वारा उठाई गई शिकायतों में से एक यह है कि हालांकि उन्हें उत्तरदाताओं के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन प्रत्येक नोटिस जारी नहीं किया गया था और उनकी अनुपस्थिति में उनके मामले को

मुख्य मामले के साथ जोड़ा गया था और निर्णय लिया गया था।इस प्रकार, उन्हें अपनी बात रखने का कोई अवसर नहीं मिला।इसी तर्ज पर, महाराष्ट्र राज्य के विद्वान वकील ने हमारे सामने उस समस्या को रखने की कोशिश की, जिसमें अब जारी किए जाने वाले निर्देश उन पक्षों के संबंध में हैं जो हमारे सामने नहीं हैं और इस कवायद से प्रभावित हो सकते हैं।

/

/

33. हम उपरोक्त तथ्य से अवगत हैं।हालाँकि, सभी प्रभावित पक्षों का हमारे सामने होना अव्यावहारिक है।प्रतिनिधि क्षमताओं में विभिन्न समूह हमारे सामने हैं।आक्षेपित आदेश के संदर्भ में, सरकारी प्रस्ताव दिनांक 1 के अंतर्गत विशेष रूप से गठित जांच समितियों द्वारा जारी किए गए सभी मूल प्रमाण पत्र संबंधित व्यक्तियों से बरामद किए जाने थे और उन्हें तुरंत नष्ट कर दिया जाना था, जिसके लिए तीन महीने का समय दिया गया था।हमने, वास्तव में, विधि के प्रश्न पर आक्षेपित आदेश अपास्त करते हुए ते हुए, केवल प्रमाण पत्रों के पुनः सत्यापन का निर्देश दिया है कि क्या वे उन पर डाली गई शंकाओं के कारण विधि के अनुसार हैं, जैसा कि हमने ऊपर बताया है।आक्षेपित निर्णय द्वारा पीड़ित पक्षों के रुख का प्रतिनिधित्व वास्तव में हमारे सामने अपीलार्थी द्वारा किया गया था।इसके अलावा, वैधता प्रमाण पत्र जारी किए जाने के नए अभ्यास के समय, स्वाभाविक रूप से वे व्यक्ति जिन्हें ए जारी किया गया है

/

/

/

711

डीआईएसटी। कलेक्टर सतारा और ए. एन. आर. बनाम

मंगेश निवृत्ति काशीद [संजय किशन कौल, जे.]

इन प्रमाणपत्रों को नोटिस जारी किया जाएगा।हमारे विचार में यह पर्याप्त होगा और पक्षकारों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए उपरोक्त निर्देश भी आवश्यक हैं, जिसके लिए हमें संविधान के अनुच्छेद 142 का लाभ मिलता है।यह जाति जांच समिति का काम होगा कि वह संबंधित पक्षों को इस संबंध में उचित सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से सूचित करते हुए उपरोक्त कवायद को अंजाम दे।अब हमने जो निर्देश जारी किए हैं, वे 2000 के अधिनियम के उद्देश्यों को सुनिश्चित करेंगे, यानी सतर्कता प्रकोष्ठ से उचित सहायता के साथ एक उचित अभ्यास के माध्यम से केवल हकदार व्यक्तियों को प्रमाण पत्र जारी करना।

/

34. हम इस आशा के साथ समाप्त करते हैं कि उपरोक्त कवायद 2000 के अधिनियम को लागू करने के उद्देश्य को पूरा करेगी, और गैर-हकदार व्यक्तियों को बाहर निकालते हुए केवल हकदार व्यक्तियों को लाभ प्रदान करेगी।

/

35. तदनुसार अपीलों की अनुज्ञात जाती है, जिससे पक्षकारों को अपना खर्च वहन करना पड़ता है।

/

/

अपीलों की अनुज्ञात गई।

/

/

/

/